BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 332 of 2024

IN THE MATTER OF:

ATS ONE HAMLET APARTMENT OWNER ASSOCIATION

…………APPLICANT(s)

VERSUS

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH & OTHERS

……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, GAUTAM BUDH NAGAR, U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 03.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE H2 CASE NO. 08/2024-25 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 20.06.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-2	

4.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 05.07.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-3**	
5.	**COPY OF THE PHOTOGRAPHS OF THE SITE IN QUESTION ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-4**	
6.	**COPY OF THE PHOTOGRAPHS OF SAMPLING ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-5**	
7.	**COPY OF THE NOTICE DT. 29.04.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-6**	
8.	**COPY OF THE LETTER DT. 12.07.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-7.**	
9.	**COPY OF THE DEMAND DRAFT DT. 04.07.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-8**	
10.	**COPY OF THE E-3 RECEIPT DT. 12.07.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-9**	
11.	**COPY OF THE LETTER DT. 03.04.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-10**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL OF STATE OF UTTAR PRADESH
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 07.04.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 332/2024

IN THE MATTER OF:

ATS ONE HAMLET APARTMENT OWNER ASSOCIATION

…………APPLICANT(s)

VERSUS

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH & OTHERS

……..RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, GAUTAM BUDH NAGAR, U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 03.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Pramod Kumar, aged about 59 years, S/o Late Sri Padam Dhar [illegible] R/o B-701 Antriksh Nature Sector 52 NOIDA…., Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, do hereby solemnly state and affirm as under:

1. That I, the Deponent in the present matter, am fully conversant with the facts of the case and competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That in the present matter, the Applicant's grievance pertains to the illegal felling of trees and the destruction of a green belt carried out by Respondent No. 6 on the plot adjoining the Applicant's Group Housing Society located in Sector 104, Noida, Gautam Budh Nagar.

3. That the above captioned matter was last listed for hearing on 03.02.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to produce the relevant documents with respect to the present matter.

4. That pursuant to the aforementioned directions dt. 03.02.2025 issued by the Hon'ble Tribunal, the Deponent has duly received the notice and hence the present affidavit is filed to place on record the steps undertaken by the Forest Department, Gautam Budh Nagar, in relation to the illegal tree felling incident, along with relevant documents and explanations.

I. INITIATION OF PROCEEDINGS PURSUANT TO COMPLAINT

5. That an information with respect to the illegal tree felling upon a plot measuring approximately 0.51 hectares, owned by the Maharishi Yogi Ashram Trust, Maharishi Nagar was received by the Forest Department and subsequently an H2 Case No. 08/2024-25 was registered against the offender on 29.04.2024.

   A Copy of the H2 Case No. 08/2024-25 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

6. That to ascertain the factual matrix the case, the Deponent vide letter dated 20.06.2024 issued directions for the constitution of a Joint Inspection Committee for the physical survey and assessment of the site in question.

   A Copy of the letter dt. 20.06.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

7. That the Joint Inspection Team conducted a detailed inspection of the site on 05.07.2024 and prepared its comprehensive inspection report dated 05.07.2024.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

A Copy of the Inspection Report dt. 05.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

II. FINDINGS OF THE INSPECTION COMMITTEE

8. That the observations of the Inspection Committee are as under:

   i. **Felling of Trees on Ashram's Land:**

   It was observed that a significant number of trees were felled on a plot measuring approximately 0.51 hectares, owned by the Maharishi Yogi Ashram Trust, Maharishi Nagar. The felled trees included species such as Subabul, Prosopis Juliflora, Siris, Neem, Bael, Mango, and Peepal. The said felling was carried out without obtaining any permissions from the Forest Department. That a JCB was used for clearing the said area. That the said area was found to be a green cover as per the information received by the people from nearby areas.

   Photographs of the said site in question have been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.(Colly)**

   ii. **Construction of Road**

   A road was found be constructed on the cleared area of 0.51 hectares.

   iii. **Method of Assessment**

   Sampling was conducted on the adjacent 3 plots through **random plotting methodology**. Specifically, squares measuring **16 meters by 16 meters** were marked on each of the three plots, and a detailed enumeration of standing trees within each square was carried out. This method ensured a fair approximation of the trees felled as the remaining stumps of the felled trees were removed from the site.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

Copies of the photographs of sampling has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.(Colly)**

iv. Enumeration of Prohibited Species:

That upon the results of the aforementioned sampling method, the following trees were found to be of the prohibited species as per the Gazette of Government of Uttar Pradesh, Notification dt. 07.01.2020 among the felled trees at the said site:

Neem	16
Bael	1
Mango	2
Peepal	1

All these trees were located on the private land of Maharishi Yogi Ashram Trust, Maharishi Nagar.

That the relevant portion of the Notification dt. 07.01.2020 has been reproduced herein for ready reference:

“उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1978) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल. (6) पीपल. (7) बरगद, (8) गूलर. (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश. (12) बेल. (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा. (16) इमली, (17) जामुन, (18)

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा. (22) तून, (23) सलई. (24) हल्दू, (25) बाकली/करधई. (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृक्षित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।"

v. **Removal of Evidence:**

That no stumps of the said illegally felled trees was found at the said site.

III. <u>LEGAL ACTIONS INITIATED</u>

9. That a notice dated 29.04.2024 was issued to the Trustee, Maharishi Ashram, directing them to:

   - Appear in person before the office of the Regional Forest Officer, Dadri Range on 03.05.2024 at 12:00 PM to present their defense.
   - The said notice further informed the offender that with respect to the non-compliance of the said directions punitive actions under the relevant statutory provisions would be taken.

   A Copy of the Notice dt. 29.04.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**

IV. <u>ACCEPTANCE</u>

10. That the Trustee, Maharishi Ashram, vide letter dated 12.07.2024, admitted the illegal felling of trees and voluntarily agreed to comply with the deposition of the penalty towards it. That subsequently the offender admitted to deposit a penalty of :

    - Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs Only), calculated at Rs. 10,000/- per tree for the 20 prohibited species felled as per Section 15 of the UP Tree Protection Act, 1976

NOTARY K.P. Yadav Reg. No.4123 GOVT. OF INDIA

And;

- an additional penalty of Rs. 50,000/- under the U.P. Transit Rules;

A Copy of the Letter dt. 12.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-7.**

V. COMPOUNDING OF THE OFFENSE

11. That the offender deposited an amount of Rs. 2,50,000/- (Rupees Two Lakhs Fifty Thousand Only) through Demand Draft bearing No. 253435, dated 04.07.2024, drawn on Yes Bank, into the government treasury.
    A Copy of the Demand Draft dt. 04.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-8.**

12. That an E-3 Receipt No. 2718/096 dated 12.07.2024 was issued to the offender acknowledging the deposit of the penalty amount into the government treasury.
    A Copy of the E-3 Receipt No. 2718/096 dt. 12.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9.**

13. That subsequently, a formal **Compounding Letter dated 03.04.2025** was issued, clarifying the compounding of the offence upon payment of the imposed penalties.
    A Copy of the letter dt. 03.04.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

14. That it is pertinent to submit that all actions as mandated under the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 and the U.P. Transit Rules, 1978 have been duly undertaken by the Forest Department. That the offender has accepted the illegality of their actions, paid the penalties, and the matter has been compounded.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No.4123 GOVT. OF INDIA

15.Hence, the affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

16.That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 7TH day of April, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 16 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

ATTESTED K.P. YADAV NOTARY PUBLIC 17 APR 2025

बुक नं०

ANNEXURE A-1

250

वन आकार पत्र सं० एच–2

RG 08/2024-25

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) गौतमबुद्ध नगर।

वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की 29/04/2024

अन्य अपराध .... प्रसूचना (रिपोर्ट सं० .... दिनांक .... अधिक्षेत्र (रेन्ज)

धारा 4/10

1. नाम पिता का नाम और निवास स्थान । द्रस्टी, महर्षि आश्रम, सेक्टर-104, नोएडा

2. साक्षी का नाम श्री विजय सिंह, वन रक्षक

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक लगभग 0.50 है० भूमि पर वृक्षों का अवैध पातन करना

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन विभागीय कार्यवाही

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

आज दिनांक 29/04/2024 को सायं 4.00 बजे शिकायत के आधार पर मैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी (श्रीमति अनामिका) क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोर्ट केस (श्री संदीप शर्मा), श्री प्रशान्त कुमार वन दरोगा के साथ ATS Hamlet सेक्टर-104 के गेट नं०-01 के पास सटी हुई महर्षि आश्रम की दीवार के अन्दर महर्षि आश्रम की भूमि पर लगभग 1/2 हेक्टेयर में अवैध पातन पाया गया।

आस-पास पूछताछ करने पर सामने आया कि उक्त कार्य अभियुक्त द्वारा कराया गया तथा पातन कर रास्ता बनाने का कार्य किया गया। जी०पी०एस० रीडिंग से गूगल अर्थ पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पातन माह मार्च 2024 में किया गया है। उक्त कार्य अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के किया गया है, जो कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत वन अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

PA
अग्र का० हेतु

30/04/2024

भवदीय
(हस्ताक्षर)
महेन्द्र पाल
क्षेत्र सहायक

महोदय,
मूल में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर महोदय की सेवा में प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी रेंज
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर ।
पत्रॉक /35-1 दिनॉक गौतमबुद्धनगर, 20-06-2024

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03-04-2024 के अनुपालन में अवगत कराना है कि शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर-110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-104, नोएडा स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर निर्माण करने से संबंधित है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा द्वारा अपने पत्रांक 161/2-192/24 दिनांक 27-05-2024 एवं पत्रांक 244/2-192/24 दिनांक 19-06-2024 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण संवेदनशील होने के कारण प्रकरण की जॉच हेतु निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता है। उक्त गठित टीम स्थलीय जॉच कर अपनी विस्तृतजॉच आख्या तीन दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी ताकि आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को समयान्तर्गत प्रेषित की जा सके:-

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	श्रेणी	विभाग का नाम
1	श्रीमती अनामिका	क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी/सिकन्द्राबाद	अध्यक्ष	वन विभाग
2	श्री संदीप कुमार शर्मा	क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोर्टकेस	सदस्य	वन विभाग
3	श्री प्रशान्त कुमार	वन दरोगा, दादरी रेंज	सदस्य	वन विभाग,
4	श्री पी0पी0 सिंह	सहायक पर्यावरण अभियंता	सदस्य	प्रदूषण विभाग
5	श्री ज्ञानेन्द्र यादव	सहायक निदेशक (उद्यान) नोएडा प्राधिकरण	सदस्य	नोएडा प्राधिकरण

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 7302 / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. गठित टीम के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
2. श्री पी0पी0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा।
3. श्री ज्ञानेन्द्र यादव, सहायक निदेशक, (उद्यान) नोएडा प्राधिकरण द्वारा निदेशक, (उद्यान) नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

Noted

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

ANNEXURE A-3

संयुक्त जॉच रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03-04-2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी,गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 7302/35-1 दिनांक 20-06-2024 के अनुपालन में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर सेक्टर-110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-104, नोएडा में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर दिनांक 26-06-2024 को संयुक्त जॉच की गयी। संयुक्त जॉच में ज्ञात हुआ कि सेक्टर-104, नोएडा में मौके 0.51 हे0 आश्रम की भूमि पर जे0सी0बी0 के माध्यम से रोड निर्माण करने हेतु मुख्यतः सूबबूल, प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा, सिरस,नीम, बेल, आम पीपल आदि प्रजाति के कई वृक्षो का बिना अनुमति पातन किया गया, जिसका आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खडे वृक्षो मे सैम्पल प्लांटिंग (16X16 मीटर) किया गया। सैपलिंग के आधार पर पातित वृक्षो में से सोलह वृक्ष नीम, एक बेल, दो आम, एक पीपल प्रतिबंधित प्रजाति के पाये गये। उक्त समस्त वृक्ष महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर की निजी भूमि पर स्थित थे।

तत्क्रम विभागीय कार्यवाही करते हुए वन अपराध सख्या 08/2024-25 इजरा कर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर प्रतिकर रू0 2,00,000.00 प्राप्त किया गया एवं उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल लाते हुए रू 50000.00 प्राप्त किया गया। कुल प्रतिकर यस बैंक द्वारा जारी डीमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 253435 दिनांक 04-07-2024 द्वारा रू0 2,50,000.00 प्राप्त कर जमा कराया गया।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-1. भूमि अभिलेख की प्रति।

2. प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी आदेश की प्रति।

3. फोटोग्राफ।

Aamika (signature) RFO, Dadri | Gaurav (signature) 05/7/2024 AD (Hort) NOIDA | (signature) 05/07/2024 RFO-CC | (signature) 5/7/24 PRASHANT KUMAR (VAN DAROGA) | (signature) 05/07/2024 (P.P. Singh) U.P. Pollution Cont NOIDA

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

ANNEXURE A-4

Jul 5, 2024 13:46:58
28°32'0.012"N 77°22'41.976"E
217° SW
Noida
Altitude:158.2m
Speed:0.0km/h
Index number: 395

Jul 5, 2024 13:47:13
28°31'59.982"N 77°22'42.006"E
211° SW
Noida
Altitude:159.0m
Speed:0.0km/h
Index number: 396

Jul 5, 2024 13:12:17
28°32'0.018"N 77°22'41.142"E
141° SE
Noida
Altitude:162.0m
Speed:1.2km/h
Index number: 385

Jul 5, 2024 13:12:31
28°31'59.952"N 77°22'40.938"E
129° SE
Noida
Altitude:159.0m
Speed:1.7km/h
Index number: 386

Jul 5, 2024 13:46:17
28°31'59.556"N 77°22'42.336"E
301° NW
Noida
Altitude:172.6m
Speed:0.4km/h
Index number: 394

Jul 5, 2024 13:46:15
28°31'59.58"N 77°22'42.348"E
300° NW
Noida
Altitude:172.0m
Speed:0.4km/h
Index number: 393

Jul 5, 2024 13:38:50
28°32'2.19"N 77°22'42.534"E
35° NE
Noida
Altitude:156.9m
Speed:0.5km/h
Index number: 390

Jul 5, 2024 13:36:53
28°32'2.148"N 77°22'43.284"E
251° W
Noida
Altitude:152.2m
Speed:0.6km/h
Index number: 388

Jul 5, 2024 13:40:05
28°32'1.95"N 77°22'43.158"E
330° NW
Noida
Altitude:156.7m
Speed:0.0km/h
Index number: 392

Jul 5, 2024 3:12:00
28°31'59.946"N 77°22'41.61"E
35° NE
Noida
Altitude:176.2m
Speed:0.1km/h
Index number: 384

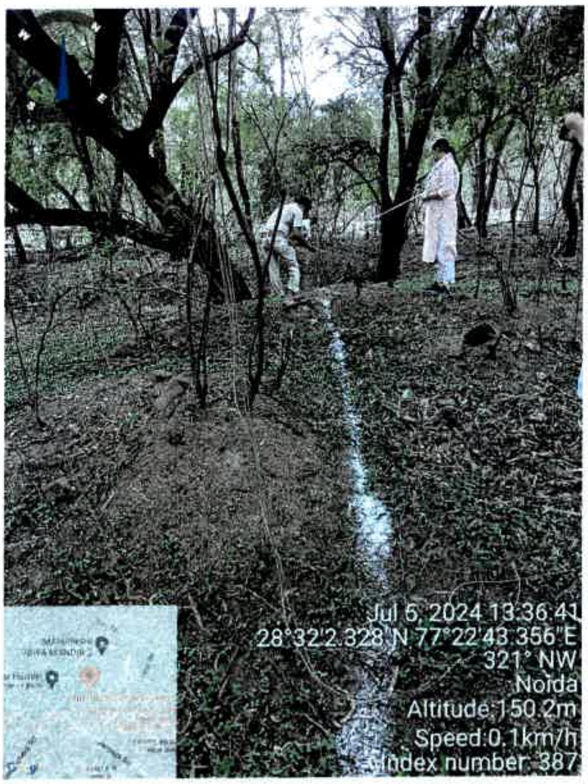
Jul 5, 2024 13:36:41
28°32'2.328"N 77°22'43.356"E
321° NW
Noida
Altitude:150.2m
Speed:0.1km/h
Index number: 387

Jul 5, 2024 13:38:43
28°32'2.166"N 77°22'42.546"E
37° NE
Noida
Altitude:157.2m
Speed:0.2km/h
Index number: 389

Jul 5, 2024 13:48:40
28°31'59.828"N 77°22'42.564"E
264° W
Noida
Altitude:154.3m
Speed:0.0km/h
Index number: 400

Jul 5, 2024 13:47:47
28°31'59.898"N 77°22'42.048"E
203° SW
Noida
Altitude:161.2m
Speed:0.0km/h
Index number: 398

Jul 5, 2024 13:47:43
28°31'59.898"N 77°22'42.048"E
204° SW
Noida
Altitude:161.2m
Speed:0.0km/h
Index number: 397

Jul 5, 2024 13:48:26
28°31'59.754"N 77°22'42.576"E
237° SW
Noida
Altitude:155.3m
Speed:0.0km/h
Index number: 399

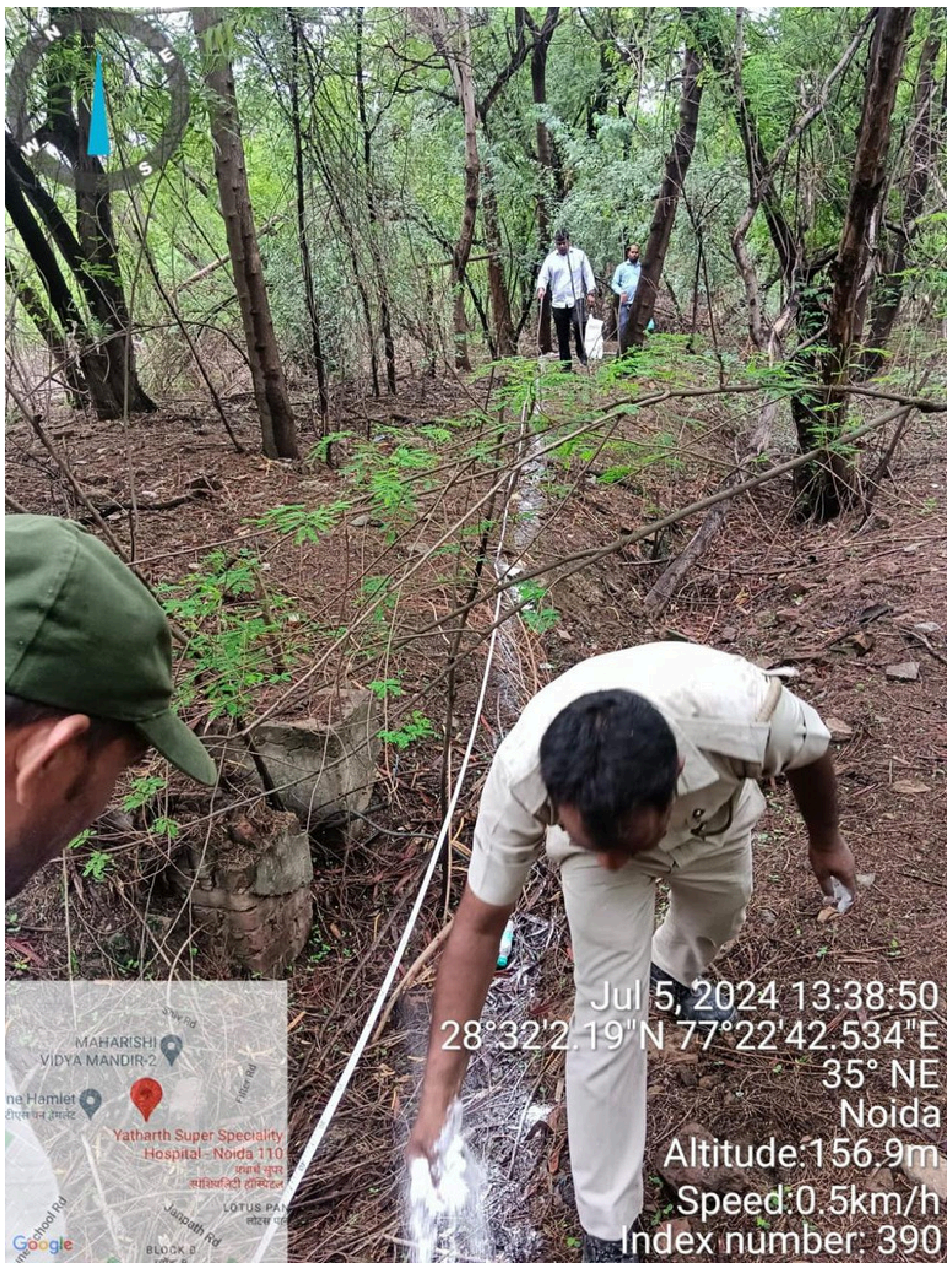
Jul 5, 2024 13:38:50
28°32'2.19"N 77°22'42.534"E
35° NE
Noida
Altitude:156.9m
Speed:0.5km/h
Index number: 390

Jul 5, 2024 13:38:43
28°32'2.166"N 77°22'42.546"E
37° NE
Noida
Altitude:157.2m
Speed:0.2km/h
Index number: 389

Jul 5, 2024 13:36:53
28°32'2.148"N 77°22'43.284"E
251° W
Noida
Altitude:152.2m
Speed:0.6km/h
Index number: 388

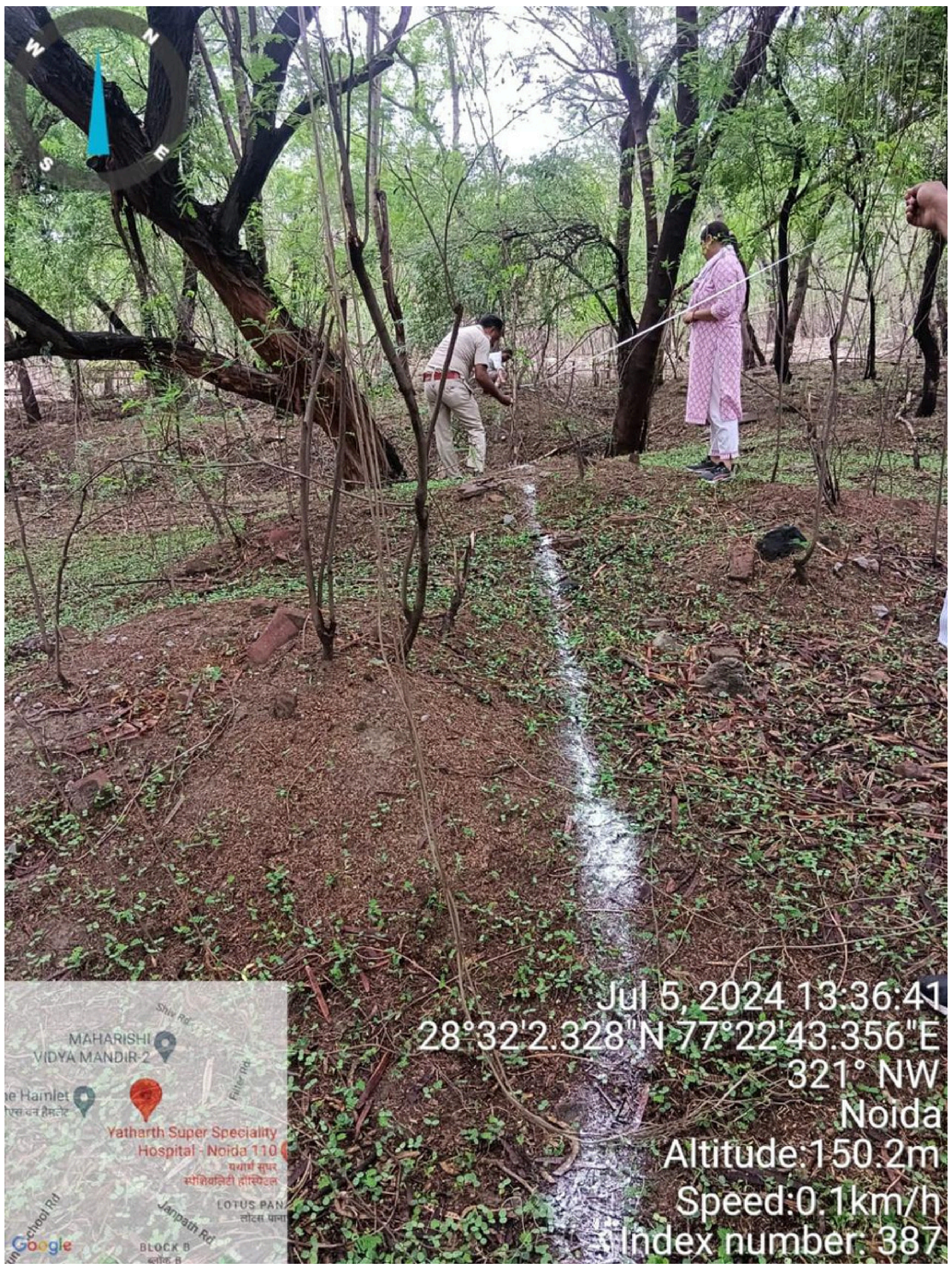
Jul 5, 2024 13:36:41
28°32'2.328"N 77°22'43.356"E
321° NW
Noida
Altitude:150.2m
Speed:0.1km/h
Index number: 387

Jul 5, 2024 13:39:58
28°32'1.95"N 77°22'43.158"E
333° NW
Noida
Altitude:156.7m
Speed:0.0km/h
Index number: 391

Jul 5, 2024 13:46:15
28°31'59.58"N 77°22'42.348"E
300° NW
Noida
Altitude:172.0m
Speed:0.4km/h
Index number: 393

MAHARISHI VIDYA MANDIR-2
Yatharth Super Speciality Hospital - Noida 110
Jul 5, 2024 13:46:58
28°32'0.012"N 77°22'41.976"E
217° SW
Noida
Altitude:158.2m
Speed:0.0km/h
Index number: 395

Jul 5, 2024 13:48:26
28°31'59.754"N 77°22'42.576"E
237° SW
Noida
Altitude:155.3m
Speed:0.0km/h
Index number: 399

Jul 5, 2024 13:47:13
28°31'59.982"N 77°22'42.006"E
211° SW
Noida
Altitude:159.0m
Speed:0.0km/h
Index number: 396

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज ई–1 सैक्टर 1 नोएडा।

पत्रॉक ११९ /33 –1 दिनॉक २१ .04.2024।

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

ट्रस्टी,
महर्षि आश्रम, सैक्टर–104,
नौएडा।

नोटिस

विषयः– रेंज केस सं0 08/2024–25/दादरी के सम्बन्ध में।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ATS Hamlet सैक्टर–104 के गेट न0–01 के पास सटी हुई महर्षि आश्रम की दीवार के अन्दर महर्षि आश्रम की भूमि पर लगभग 1/2 हैक्टेयर में वृक्षों का अवैध पातन किया गया। जी0पी0एस0 रीडिंग से गूगल अर्थ पर देखने के उपरान्त सामने आया कि उक्त पातन माह मार्च 2024 में बिना अनुमति के किया गया है। जिसका रेंज केस संख्या 08/2024–25/दादरी दिनांक 29.04.2024 को जारी किया गया है ।

इस संबंध में आप दिनांक 03.05.2024 की प्रातः 12.00 बजे क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज कार्यालय ई–1, सैक्टर–1, नोएडा में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं, आपको दोषी मानते हुए आपके विरूद्व वृक्ष संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

दिनांक : 04/07/2024

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी
नोएडा, दादरी,
जिला – गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।

महोदय,

आपके कार्यालय से प्रेषित नोटिस के अनुक्रम में हमारी संस्था द्वारा रूपये 2,50,000/– चालान संख्या जी0 812461 के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2024 को जमा किया जा रहा है।

महोदय इस संबंध में यह धनराशि हमारी संस्था के द्वारा To buy convenience and to avoid litigation के अन्तर्गत इस उद्देश्य से जमा की जा रही है कि भविष्य में किसी अन्य प्रकार का जुर्माना हमारी संस्था पर आरोपित नहीं किया जायेगा तथा उपरोक्त धनराशि रूपये 2,50,000/– (अंकेन दो लाख पच्चास हजार रूपये मात्र) कम्पाउण्ड धनराशि के रूप में मान्य किया जायेगा।

इस संबंध में पुनः हमारी संस्था आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहती है कि महर्षि नगर नोएडा के कैम्पस की साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखना यहाँ की प्रबन्ध समिति का दायित्व है। जिसके फलस्वरूप समय–समय पर आश्रम परिसर की सुरक्षा की समीक्षा करने के पश्चात् प्रबन्ध समिति के द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से प्राकृतिक रूप से उगे हुए झाड़ झंखाड़ की ही सफाई की जाती है। इसका एक प्रमुख कारण एस0टी0पी0एवं पावर हाउस के उपकरणों को सुरक्षित रखना भी है।

इसी क्रम में आश्रम परिसर के अन्तर्गत बेतरतीब प्रकार से उगे हुए झाड़ झंखाड़ की साफ–सफाई ठेकेदार श्री महेश कुमार के द्वारा कराया गया था। इस कार्य हेतु चूँकि प्राकृतिक रूप से उगे हुए झाड़ झंखाड़ जो वृक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं, की सफाई कराये जाने से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी अतः इसकी अनुमति हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी वृक्ष का पातन किया जाना अनिवार्य होता है तो ऐसी परिस्थिति में सदैव इस कार्य हेतु पूर्व अनुमति वन विभाग से ले ली जाती है। ऐसी अनुमति कई बार आपके विभाग द्वारा दी गयी है।

इसके अतिरिक्त हमारे आश्रम परिसर में लगभग 500 परिवारों के सदस्य भी निवास करते हैं जिनमें उनके छोटे–छोटे बच्चे भी है तथा विषैले सर्प तथा अन्य जीव – जन्तुओं से उन्हें सुरक्षित रखने हेतु इस प्रकार की सफाई का किया जाना अत्यन्त अनिवार्य होता है।

अतः कृपया इस संबंध में उचित निर्णय लेते हुए हमारी संस्था के द्वारा जमा की गयी धनराशि रूपये 2,50,000/– को कम्पाउण्ड करते हुए प्रार्थी के उपरोक्त कथन को बयान के रूप में स्वीकृत करने की कृपा करें।

उक्त बयान मेरे समक्ष लिये गये।
Shami

सधन्यवाद,

प्रार्थी

12/7/24
श्रीकान्त ओझा
अधिकृत प्रतिनिधि
महर्षि आश्रम

Anamika
क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी रेंज
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग

ANNEXURE A-8

A/C. PAYEE / Non-Negotiable

DEMAND DRAFT
VALID FOR THREE MONTHS FROM DATE OF ISSUE

Date 0 4 0 7 2 0 2 4

YES BANK LIMITED
YES BANK House, Off Western Express Highway
Santacruz (E), Mumbai - 400055, India
Tel No.: 022 50919800/022 6507 9800
Fax No: 022 26192866

059313006314

On Demand Pay DFO GAUTAMBUDHNAGAR or Order को या उनके आदेश पर

Rupees रुपये TWO LAKH FIFTY THOUSAND ONLY.** अदा करें ₹ **2,50,000.00*

BANG DATA FORMS PVT. LTD. CTS-2010

Purchaser Name: GLOBAL ESTATES

For YES BANK LTD.

YES BANK

AUTHORISED SIGNATORY (IES)

A.K.F 6323062

YES BANK LTD
DRAWEE BANK AND BRANCH SECTOR 19, NOIDA

ISSUING BANK AND BRANCH SECTOR 132, NOIDA

16

⑈253435⑈ 000532000⑆

ANNEXURE A-9

ई-3

वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

.........गौतमबुद्धनगर.........वन प्रभाग

बुक नं०: 2718 नं० 096

क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी वन विभाग गौतमबुद्धनगर

श्री महर्षि आश्रम ...

से मुबलिग रूपये 2500000/- ...

बाबत ... प्राप्त किये।

दिनांक 12/7/2024

वन अधिकारी

क्षेत्रीय वनाधिकारी दादरी

प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर ...

२5000/- जुर्माना देकर रसीद प्राप्त की।

ANNEXURE A-10

दूरभाष संख्या–121–2664726
E-mail-cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
पत्रांकः 2983 /22–1, दिनांक, मेरठ, 03 अप्रैल, 2025 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः– **एच–2 केसों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**
संदर्भः– **आपका पत्रांक 4354/28–1 दिनांक 01.04.2025 व पत्रांक 4401 /33–3 दिनांक 03.04.2025**

महोदय,

आप द्वारा अपने प्रथम संदर्भित पत्र से दादरी रेंज के रेंज केस सं0 08/2024–25 व प्रभागीय केस सं0 11/2024–25, जो कि उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 के उल्लंघन के क्रम में निर्गत किया गया है, को इस कार्यालय को रू0 2,50,000/– मात्र में प्रशमन की संस्तुति के साथ भेजा गया है।

उक्त निर्गत एच–2 केस के सम्बन्ध में श्री राहुल भारद्वाज, अध्यक्ष महर्षि आश्रम, बी ब्लाक, आरोग्य धाम, महर्षि नगर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा कतिपय बिन्दु इंगित करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 21.08.2024 को लिखा गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 723/33–3 दिनांक 30.08.2024 द्वारा आपसे आख्या मांगी गयी थी। आपके पत्रांक 4306/33–3 दिनांक 29.03.2025 द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 2937/33–3 दिनांक 02.04.2025 द्वारा श्री राहुल भारद्वाज, अध्यक्ष महर्षि आश्रम, बी ब्लाक, आरोग्य धाम, महर्षि नगर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर को लिखा गया।

श्री राहुल भारद्वाज, अध्यक्ष महर्षि आश्रम, बी ब्लाक, आरोग्य धाम, महर्षि नगर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा उक्त क्रम में दी गयी आख्या व उक्त अपराध को प्रशमन किये जाने के अनुरोध तथा आप द्वारा की गयी अनुशंसा के क्रम में समयक् विचारोपरान्त उक्त एच–2 केस को रू0 2,50,000/– मात्र में प्रशमित किया जाता है। उक्त एच–2 केस जॉच आख्या व अन्य अभिलेखों सहित मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।